# झारखण्ड सरकार
## स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

54(7)
01-05-2021

### संकल्प

विषय : वैश्विक महामारी Novel Corona Virus (COVID-19) के परिप्रेक्ष्य मे स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के COVID-19 Related Contact Tracing, Testing, Supervision, कोविड अस्पताल/कोविड वार्ड में कार्यरत, कार्यालय तथा कंट्रोल रूम में कोविड से संबंधित कार्यों हेतु प्रतिनियुक्त चिकित्सा कर्मियों तथा चिकित्सकों को एक माह के मूल वेतन/मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के संबंध में।

1. आज भारत सहित पूरा विश्व कोविड–19 जैसे महामारी से जूझ रहा है। इस दौरान सम्पूर्ण भारतवर्ष में कई चरणों में लॉक डाउन रहा तथा इस संक्रमण काल में राज्य सरकार के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ–साथ स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों के द्वारा पूरी ईमानदारी एवं लगन से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है।
2. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 17.03.2021 को आहूत समीक्षा बैठक में कोविड–19 के रोक–थाम में लगे स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों, जिन्होंने कोरोना संक्रमण की रोक–थाम एवं चिकित्सा में अपने कर्तव्यों का सम्यक् निर्वहन किया है, उन्हें एक माह का वेतन/मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि देने की अनुशंसा की गई।
3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में कोविड–19 कार्यो में लगे राज्य सरकार के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों (संविदा सहित) तथा एन0एच0एम0 के अधीन कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल तथा कर्तव्य निर्वहन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें एक माह (अप्रैल, 2020) के मूल वेतन/मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
4. प्रोत्साहन राशि हेतु राज्य सरकार के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभागीय अन्य कर्मियों (संविदा सहित) तथा एन0एच0एम0 के अधीन कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों जिनके द्वारा COVID-19 Related Contact Tracing, Testing, Supervision, कोविड अस्पताल/कोविड वार्ड में कार्यरत, कार्यालय तथा कंट्रोल रूम में कोविड से संबंधित कार्यों एवं कोरोना वायरस के रोकथाम एवं चिकित्सा में अपने कर्तव्यों का सम्यक् निर्वहन किया गया हो, पात्र होंगे। इस निमित विभाग द्वारा चिन्हित नियमित एवं संविदा कर्मी अर्हित माने जायेंगे। वैसे चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी एवं स्वास्थ्य विभागीय अन्य कर्मी, जिनके द्वारा कोविड–19 में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया है, उन्हें

यह प्रोत्साहन राशि अनुमान्य नहीं होगा। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु कर्मी की पात्रता सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित कार्यालय प्रधान की होगी।

5. राशि की निकासी सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा नियमानुसार की जायेगी।

6. इस व्यय का वहन मांग संख्या–20 (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) के अन्तर्गत चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभागीय अन्य कर्मियों के कार्यालय से संबंधित सुसंगत विपत्र कोड के सुसंगत बजट शीर्ष अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपबंधित राशि से किया जायेगा। एन0एच0एम0 के अधीन कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के प्रोत्साहन राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। प्रोत्साहन राशि हेतु अनुमानित व्यय रु0 103 करोड़ (एक सौ तीन करोड़) संभावित है।

7. उपर्युक्त हेतु विभागीय प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

8. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सरकारी राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

1.5.21

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 54(7) /स्वा0,राँची,दिनांक– 01-05-2021

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

1.5.21

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 54(7) /स्वा0,राँची,दिनांक– 01-05-2021

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.5.21

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 54(7) /स्वा0,राँची,दिनांक– 01-05-2021

प्रतिलिपि– योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 54(7) /स्वा0,राँची,दिनांक– 01-05-2021

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त/अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, रांची//निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड/निदेशक, रिम्स, रांची/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी सिविल सर्जन/अधीक्षक, सभी सदर अस्पताल/अधीक्षक, पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद/एम0 जी0 एम0 मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर/शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग/फुलो झानो, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दुमका/मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पलामू/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (स्वास्थ्य) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव